

झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, धनबाद।

विज्ञापन संख्या – 01/2023

धनबाद जिला में नव नामांकन के लिए विज्ञापन।

- धनबाद जिला में गृह रक्षकों के नव नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ONLINE आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित प्रपत्र में अलग—अलग जमा करेंगे।

नोट:- “गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकतानुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। “यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है”। अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है, जो राष्ट्र की सेवा निःस्वार्थ करने के लिए तत्पर हों।

- गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत है, यह औपबंधिक संख्या है, जिसे बिना पूर्व सूचना के संशोधित/घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

(क) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रिक्ति:-

		पुरुष / महिला रिक्ति		
क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	पुरुष	महिला	कुल
01	धनबाद	29	29	58
02	बलियापुर	26	26	52
03	तोपचौंचो	28	28	56
04	बाघमारा	14	14	28
05	टुण्डी	23	23	46
06	पूर्वी टुण्डी	51	51	102
07	गोविन्दपुर	25	25	50
08	निरसा	32	32	64
09	एग्यारकुण्ड	50	50	100
10	कलियासोल	41	41	82
कुल ग्रामीण		319	319	638

(ख) शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :-

क्रमांक	शहरी क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल
01	नगर निगम धनबाद	401	401	802
02	नगर परिषद चिरकुण्डा	19	19	38
कुल शहरी		420	420	840

उपरोक्त दोनों कोटि (ग्रामीण / शहरी गृह रक्षक) के लिए नामांकन में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए कर्णाकित होंगे।

महिलाओं के लिए कर्णाकित पदों में से 5 प्रतिशत पद अर्हता प्राप्त तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने के स्थिति में उक्त 5 प्रतिशत पद पुनः महिलाओं के लिए कर्णाकित प्रतिशत में समाहित हो जायेगा।

शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति में 50 प्रतिशत पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी/ तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जायेगी।

3. अर्हता:-

(क) आवासीय:-

- ग्रामीण गृह रक्षक— अभ्यर्थी को धनबाद जिला के उस प्रखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए, जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ONLINE आवेदन करेंगे। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ONLINE आवासीय प्रमाण पत्र को आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य करेंगे।